राजस्थान सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।

कंमाक– एफ–7(4)अकाद/निकाशि/धुम्रपान/2001/23 दिनांक– 19-1-2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/अराजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः– सिगरेट व अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाखू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के कियान्वन के सन्दर्भ में ।

प्रंसगः– कार्यकम प्रबन्धक, राजस्थान वोल्यन्टरी हैल्थ एसोसियेशन, जयपुर के पत्रांक 551 दिनांक 29–7–2011

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक पत्र के कम में लेख है कि सिगरेट व अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाखू अधिनियम–2003 की धारा 04 व 06 की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं के लिए तम्बाखू मुक्त बनाये जाने के लिए गाइड लाईन जारी की हैं जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :–

1– सभी महाविद्यालय भवन के बाहर मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगाया जाये जिस पर तम्बाखू मुक्त महाविद्यालय प्रमुखता से प्रकाशित किया जायेगा ।

2– महाविद्यालयो के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीडी, सिगरेट आदि तम्बाखू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है । महाविद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाखू उत्पाद नहीं बेचे जाने की सूचना महाविद्यालय के मुख्य द्वार के पास बोंर्ड पर अकिंत की जायेगी ।

3– महाविद्यालयों के सभी प्रमुख स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है, के बोर्ड प्रदर्शित किये जावे ।

4– महाविद्यालय में शिक्षक, छात्र या आगन्तुक कोई भी तम्बाखू उत्पाद का उपयोग नहीं करेगें ।

5– महाविद्यालय में एक तम्बाखू नियन्त्रण कमेटी का गठन किया जावे जिसमें शिक्षक छात्र स्थानीय पुलिस थाना प्रतिनिधि आदि शामिल हो ।

6– महाविद्यालयों में तम्बाखू नियन्त्रण कार्यकम प्रमुखता से आयोजित किये जायें, महाविद्यालय स्वास्थ्य कार्यकम तम्बाखू नियन्त्रण पर केन्द्रित हो और तम्बाखू नियन्त्रण से संबधित पोस्टर्स व अन्य आईईसी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये ।

समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं का कडाई से पालन करते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

(सुबीर कुमार)
शिक्षा निदेशक

प्रतिलिपि–

1– कार्यकम प्रबन्धक, राजस्थान वोल्यन्टरी हैल्थ एसोसियेशन ए–12बी, महावीर उद्यान पथ बजाज नगर, जयपुर ।

2– डॉ0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाइट इन्चार्ज, इसे बेवसाईट पर डाउनलोड करें ।

सयुंक्त निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0जयपुर